भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 586

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**केन्द्रीय अधिकरणों में सुधार**

**586. श्री महेश पोद्दार :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय अधिकरण कार्यशील हैं ;

(ख) इनमें से कितने अधिकरणों में प्रवर समितियां हैं ;

(ग) क्या इन सभी अधिकरणों में न्यायिक सदस्य हैं ;

(घ) क्या इन अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों से अधिक गैर-न्यायिक सदस्य हैं ;

(ङ) क्या यह उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में है ; और

(च) देश के अधिकरण ढांचे का अध्ययन करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की स्थिति क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ङ) :**  सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**(च) :** रोजर मैथ्यू बनाम् साऊथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य [एसएलपी(सी) संख्या 15804/2017] तारीख, 07.05.2018 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार, अभिकरणों के कतिपय पहलुओं की बावत सिफारिशें करने के लिए तारीख 06.08.2018 को एक समिति का गठन किया गया था । समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे –

(i) अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग - अध्यक्ष

(ii) प्रधान सलाहाकार, नीति आयोग - सदस्य

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग - सदस्य

(iv) सचिव, विधायी विभाग - सदस्य

(v) सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग - सदस्य

समिति की पहली बैठक भारतीय विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष की अध्यक्षता में तारीख 30.08.2018 को हुई थी। 21वें विधि आयोग की अवधि का अवसान 31.08.2018 को हो गया था और अभी नया आयोग गठित किया जाना है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*